भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

NOTARIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL "प्रारूप-26 नियम-4 देखिए" 00AA 335217

शपथ-पत्र

कथनकर्ता :- श्री पवन चन्द्र उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री कृष्णानन्द
निवासी ग्राम गैराड़, पो0ऑ0 चित्रेश्वर,
तहसील चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा।

नोट- शपथी प्रारूप संलग्न है।

NOTARY
Y. C. JOSHI
Tehsil Ranikhet
Distt. Almora
R. No. 03(02)01
Govt. of Uttaranchal

प्रारूप–26

(नियम 4 क देखिए)

........48 द्वाराहाट........निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

..............................(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र

मैं........दिवान चन्द्र पाण्डेय........पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व० श्री कृष्णानन्द पाण्डेय आयु....31....वर्ष, जो [illegible]....का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

1– मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दडंनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नही हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या/संख्यांए........नहीं........

(ii) पुलिस थाना (थाने)....नहीं....जिला (जिले)....नहीं....राज्य....नहीं....

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अर्म्यर्थी आरोपित किया गया है........नहीं........

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई........नहीं........

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे........नहीं........

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं........नहीं........

2– मुझे किसी अपराध (अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नही ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नही किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(i) मामला प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या/संख्याएं........नहीं........

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है........नहीं........

NOTARY
Y. C. JOSHI
Tehsil Ranikhet
Distt. Almora
R. No. 09(02)07
Govt. of Uttaranchal

(iii) पुलिस थाना (थाने) नहीं जिला (जिले) नहीं राज्य नहीं

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधो का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे नहीं

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है नहीं

स्थान: अल्मोड़ा
तारीख: 11/1/12

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

NOTARY Y. C. JOSHI Tehsil Ranikhet Distt. Almora R. No. ... Govt. of Uttarakhand

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नही है और कोई तात्विक बात छिपायी नही गई है ।

अल्मोड़ा स्थान पर आज तारीख 11/1/12 को सत्यापित किया ।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्ररूप के वे स्तंम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नही है, काट दिए जाएं ।

Solemnly Affirmed before me by the Deponent Shri ... S/o ... Distt. Almora ... the Contents of this Affidavit are True ... explaind to the Deponent ... Identified by Shri ... verified on 11/1/12

Y. C. JOSHI
Notary
11/1/12